अध्याय – 10

रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता

उद्देश्य–

हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य आदि प्रमुख विधाओं के साथ कई नई विधाओं का भी जन्म हुआ है, जिनमें रिपोर्ताज, यात्रावृत्त लेखन, डायरी लेखन आदि विधाएँ भी तेजी से उभर रही हैं। जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्ताज विधा सामने आई। रिपोर्ट में कथातत्त्व का होना उसे 'रिपोर्ताज' विधा बनाता है। हिंदी में स्वतंत्रता से पूर्व से ही यात्रावृत्त लिखे जा रहे हैं। डायरी लेखन की परंपरा भी भारत में पुरानी नहीं है। डायरी लेखन हमारे व्यक्तित्व को सुधारने एवं सँवारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदर्भ सामग्री का उपयोग पूर्व में हुई घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में उपर्युक्त वर्णित सभी गौण किंतु महत्त्वपूर्ण विधाओं के बारे में जाना जा सकेगा।

रिपोर्ताज –

हिंदी खड़ी बोली के साथ ही अनेक नई विधाओं का जन्म हुआ है, इनमें 'रिपोर्ताज' भी एक महत्त्वपूर्ण, किंतु आवश्यक विधा के रूप में हिंदी साहित्य में उभर रही है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव सन् 1936 के आस–पास द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हुआ था। 'रिपोर्ताज' फ्रांसिसी भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी के 'रिपोर्ट' शब्द का संशोधित रूप है। जब हम किसी घटना का आँखों देखा वर्णन करते हैं तो उसे 'रिपोर्ट' कहा जाता है। रिपोर्ट में तथ्यों का लेखा–जोखा मात्र रहता है। आज सामान्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्ताज का महत्त्व अधिक है। यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि 'रिपोर्ट' और 'रिपोर्ताज' में क्षीण अंतर यह भी होता है कि रिपोर्ट में एक प्रकार की नीरसता होती है, इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है, जबकि 'रिपोर्ताज' में सरसता होती है। इसकी शैली प्रभावी होती है। 'रिपोर्ट' की अपेक्षा 'रिपोर्ताज' में घटना का रेखाचित्र की शैली में अंकन होता है। जिस रचना में वर्ण्य विषय का आँखों देखा तथा कानों–सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृत्तंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल न सके, उसे 'रिपोर्ताज' कहते हैं।

जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्ताज का जन्म हुआ है। वैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने इस विधा को जन्म दिया। ये रचनाकार विश्वयुद्ध की सूचनाओं एवं घटनाओं की रिपोर्टें तैयार करते थे। इन्हें बाद में 'रिपोर्ताज' कहा गया। इसमें संवेदनशीलता आवश्यक है अर्थात् रिपोर्टों को जब तथ्यात्मक नहीं बना कर संवेदना का पुट मिल जाता है तो वे रिपोर्टें 'रिपोर्ताज' की श्रेणी में आ जाती हैं।

आँखों–देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्ताज रखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं। लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्ताज नहीं बना करता, रिपोर्ट भले ही बन जाए। घटना–प्रधान होने के साथ ही रिपोर्ताज को कथातत्त्व से भी युक्त होना चाहिए। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार की

दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। साथ ही उसके लिए आवश्यक होता है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखे और उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारियों जैसे सुख–दुःख के क्षणों में जनता को निकट से देखे। तभी वह अखबारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार की दृष्टि से जन–जीवन का प्रभावोत्पादक चित्रण कर सकेगा।

आचार्य उमेश शास्त्री ने रिपोर्ताज की निम्नलिखित विशेषताओं को इंगित किया है–

- रिपोर्ताज में तथ्यों के साथ भाव–प्रवणता भी रहती है।
- रिपोर्ताज का स्वरूप कलापूर्ण होता है। लेखक यथार्थ–विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है।
- रिपोर्ताज में मुख्यतः घटना होती है। घटना का काल्पनिक अथवा यथार्थपरक होना लेखक पर निर्भर करता है। घटना को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- इस विधा की कोई सीमा नहीं होती है।
- रिपोर्ताज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आन्तरिक स्वरूप की कम होती है।
- जन–जीवन की प्रभावकारी परिस्थिति का चित्रण होने के साथ ऐतिहासिकता के लिए प्रमाण भी अपेक्षित है।
- रिपोर्ताज–लेखक का उद्‌देश्य वस्तुगत तथ्यों को, प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का होता है।
- रिपोर्ताज–लेखक साहित्यिक लेखनी को हाथ में लेकर, जागरूक बौद्धिकता के साथ, यथार्थ जगत् से सम्पर्क किए रहता है।
- रिपोर्ताज के प्रति समाज की आस्था एवं विश्वास भी अपेक्षित है।
- रिपोर्ताज का प्रभाव सीमित होता है। सम–सामयिक विषय और घटनाओं पर आधारित होने के कारण सार्वजनीन प्रभाव नहीं रहता है।
- लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। लेखक की संवेदनशीलता के कारण पाठक की रुचि को बढ़ाना नैसर्गिक है।
- भाषा में सरलता, सहजता, सुबोधता, सजीवता एवं सरसता का होना आवश्यक है।

रिपोर्ट एवं रिपोर्ताज दोनों ही एक विधा के अंग होते हुए अन्तर लिए हुए हैं। रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं, रिपोर्ताज साहित्यिक विधा है। रिपोर्ट में केवल आँखों देखा हाल होता है, यथास्थिति का वर्णन मात्र होता है। जबकि 'रिपोर्ताज' कलात्मकता के साथ घटना को भावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। कतिपय समीक्षक इसे स्वतंत्र विधा न मानकर कहानी, निबंध, रेखाचित्र अथवा यात्रावृत्त में समाविष्ट करने की चेष्टा करते हैं। यह किसी भी विधा के अन्तर्गत नहीं आती क्योंकि सभी विधाओं से मूल तत्वों के कारण स्वतंत्र विधा है। निबंध किसी विषय की विवेचना मात्र प्रस्तुत करता है जबकि रिपोर्ताज में अपनी ओर से विवेचन अथवा मन्तव्य प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कहानी और रिपोर्ताज में भी भारी अंतर है। कहानी की घटनाएँ ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक होती है, इस विधा में तथ्यात्मक घटनाओं का वर्णन रहता है। रिपोर्ताज में सम–सामयिक घटना तथा उसकी ऊपरी सतह का ही अंकन होता है। यात्रावृत्त से भी इसका कोई संबंध नहीं है। यह अपने–आप में पूर्णतः मौलिक विधा है।

रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार–प्रसार किया तथा इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्ताज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। वास्तविक रूप में तो रिपोर्ताज का जन्म हिंदी में बहुत बाद में हुआ, लेकिन भारतेंदुयुगीन साहित्य में इसकी कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। उदाहरणस्वरूप भारतेंदु ने स्वयं जनवरी, 1877 की 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' में दिल्ली दरबार का वर्णन किया था,

जिसमें रिपोर्ताज की झलक देखी जा सकती है। हिंदी में रिपोर्ताज–लेखन की सायास परंपरा शिवदानसिंह चौहान की रचना 'लक्ष्मीपुरा' जो रूपाभ, के दिसम्बर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ, से आरंभ हुई। इस रचना के प्रकाशन से अनेक पत्र–पत्रिकाओं ने इस विधा को महत्त्व दिया। तत्कालीन साहित्यिक पत्र 'हंस' में रिपोर्ताज साहित्य का प्रकाशन होने लगा। शनैः शनैः इस पत्र में 'समाचार और विचार' शीर्षक से स्थायी स्तम्भ हो गया और इस कॉलम में नए प्रयोगों के साथ रिपोर्ताज साहित्य छपने लगा। इन स्तम्भों के अन्तर्गत रिपोर्ताज प्रकाशित हुए, उनमें मौत के खिलाफ जिन्दगी की लड़ाई' ने आशातीत सफलता प्राप्त की। रिपोर्ताज के विषय 'अकाल की काली छाया', 'बाढ़ के विनाशकारी दृश्य', 'अग्निकांड में झुलसती जिन्दगी', 'दुर्घटनाओं में सिसकती जिन्दगी', 'अट्टालिकाओं के नीचे टूटती हुई जिन्दगी', 'सिसकते हुए स्वाँस', 'रौंदी हुई चेतना' आदि शीर्षक हैं। ऐसे रोमांचकारी यथा तथ्य वर्णनों से पाठकगण अत्यंत प्रभावित हुआ और इस विधा के प्रति सहज रूप से आकर्षण बढ़ा।

बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में 'रांगेय राघव' द्वारा लिखित 'विशाल भारत' रिपोर्ताज अपनी मार्मिक अभिव्यंजना के कारण बहुत चर्चित हुआ। अकाल ग्रस्त क्षेत्र में पहुँच कर उन्होंने पूँजीपतियों, व्यापारियों तथा मुनाफाखारों के अमानवीय कृत्यों और भूख से बिलबिलाते नर–कंकालों पर जो मर्मस्पर्शी रिपोर्ताज लिखे वे आगे चलकर 'तूफानों के बीच' में संकलित–प्रकाशित हुए।

हिंदी–रिपोर्ताज साहित्यकारों में शिवदानसिंह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, रांगेय राघव, उपेन्द्रनाथ अश्क, रामनारायण उपाध्याय, भदन्त आनन्द कौशल्यायन, शिव सागर मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, डॉ० भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, कैलाश नारद, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, श्रीकान्त वर्मा, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, शरद जोशी, गंगाप्रसाद शास्त्री एवं प्रभाकर माचवे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रकाशचन्द्र गुप्त, उपेन्द्रनाथ अश्क तथा रामनारायण उपाध्याय ने अपने रिपोर्ताज के स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित करने के स्थान पर उन्हें अपनी अन्य विषयक कृतियों में संकलित कर दिया। प्रकाशचन्द्र गुप्त ने घटनाप्रधान रिपोर्ताज लिखे हैं जो उनके रेखाचित्र–संग्रह 'रेखाचित्र' में संगृहीत हैं। 'स्वराज्य भवन', 'अल्मोड़े का बाज़ार' और 'बंगाल का अकाल' उनके उल्लेखनीय रिपोर्ताज हैं। उपेन्द्रनाथ अश्क के रिपोर्ताज 'रेखाएँ और चित्र' (1955) में संकलित हैं। 'पहाड़ों में प्रेममय संगीत' उनका उल्लेखनीय कथात्मक रिपोर्ताज है जिसमें पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य विषय 'प्रेम' पर अत्यंत ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई गई है। रामनारायण उपाध्याय के रिपोर्ताज उनके व्यंग्यात्मक निबंधों के संग्रह 'गरीब और अमीर पुस्तकें' (1957) में संगृहीत हैं। 'नववर्षांक समारोह में' उनका एक अत्यंत उत्कृष्ट रिपोर्ताज है जिसमें जन्मदिन–समारोह, अभिनन्दन–समारोह, ग्रन्थ–विमोचन–समारोह आदि के पैटर्न पर आयोजित पत्रिकाओं के नववर्षांक–समारोह की अच्छी खबर ली गई है।

रिपोर्ताज लेखन की दिशा में कतिपय अन्य उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं – भदन्त आनन्द कौसल्यायन (देश की मिट्टी बुलाती है), शिवसागर मिश्र (वे लड़ेंगे हजार साल), डॉ. धर्मवीर भारती (युद्ध–यात्रा), कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर (क्षण बोले कण मुस्काए), शमशेर बहादुर सिंह (प्लाट का मोर्चा), श्रीकान्त वर्मा (अपोलो का रथ) तथा फणीश्वरनाथ रेणु (ऋणजल धनजल)। हिंदी का अधिकतर रिपोर्ताज–साहित्य पत्र–पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुआ है। नया पथ, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग, दिनमान आदि पत्रिकाओं में समय–समय पर अनेक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ताज प्रकाशित हुए हैं। शनैः–शनैः इस विधा में परिष्कार हो रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रभाकर माचवे तथा अमृतराय आदि

ने भी रोचक रिपोर्ताज लिखे हैं और आज भी लिखे जा रहे है।

रिपोर्ताज का हिंदी साहित्य में 'स्वतंत्र कृति' के रूप में अभी विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि यह विधा मानव मन के भावों को स्पर्श करने में सक्षम है तथा सहज सहानुभूति प्राप्त करने योग्य है, किंतु इस क्षेत्र में विशद व व्यापक सृजन का अभी अभाव है। सम–सामयिक पत्र–पत्रिकाओं में डॉ० धर्मवीर भारती, प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव आदि अपने रिपोर्ताज प्रकाशित कराते रहे हैं।

यात्रा वृत्तांत –

यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएँगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी–न–कभी कोई–न–कोई यात्रा अवश्य करता है किंतु सर्जनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्ति अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा–साहित्य की रचना करने में सक्षम हो पाते हैं। यात्रा–साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बाँटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सह–संबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त होती है। सच्चा यात्री वही है जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो मन की तरंगों के अनुसार आगे–और आगे चलते रहने में विश्वास करता है और जिसे रास्ते की बाधाओं में भी आनन्द की अनुभूति होती है। मोहन राकेश यात्रा की विशेषताओं के बारे में कहते हैं –''यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है, वह रोज के द्वन्द्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर, निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर, मन में कोई कुण्ठा नहीं रहती। नए वातावरण, नई परिस्थितियों और नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी आन्तरिक प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है – अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। उस खुलेपन से उसके नैतिकता के मानदण्ड बदल जाते हैं – वह एक आरोपित नैतिकता में न जीकर अपनी आन्तरिक नैतिकता के अनुसार जीने लगता है। जितना थोड़ा–सा भी समय इस रूप में जी लेता है, वह साधारण रूप से जिए कई–कई वर्षों की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। उसके सम्बन्धों का आधार हो जाता है एक आदिम आवेश जिसके कारण वह एक पेड़ के पत्तों को भी सहलाता है तो इस तरह जैसे एक बच्चे के गाल सहला रहा हो। ढलान के मोड़ पर जमे एक पत्थर को भी थपथपाता है, तो इस तरह जैसे घर के एक पालतू जानवर को थपथपा रहा हो। रात को पहाड़ी जंगल में उड़ते कीड़ों की आवाजें उसकी साँसों की आवाज के साथ घुल–मिल जाती हैं, और साँझ के झुटपुट में डेरे की तरफ आती खच्चरों की घण्टियाँ उसे अपनी धड़कनों के अन्दर गूँजती महसूस होती है।''

यात्रावृत्त लेखन की दिशा में भी भारतेन्दु–युग के अनेक लेखकों ने योग दिया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने यात्रावृत्त विषयक अनेक रचनाएँ लिखीं जो 'कविवचनसुधा' के अंकों में प्रकाशित हुईं। इनमें 'सरयू पार की यात्रा', 'लखनऊ की यात्रा' और 'हरिद्वार की यात्रा' उल्लेखनीय हैं। इन यात्रा–वृत्तांतों की भाषा व्यंग्यपूर्ण है और शैली बड़ी रोचक और सजीव है। बालकृष्ण भट्ट ने 'गया यात्रा' और प्रतापनारायण मिश्र ने 'विलायत यात्रा' नामक रचनाएँ लिखीं। श्रीमती हरदेवी ने बम्बई से लन्दन तक की जहाजी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया है। भगवानदास वर्मा ने तुलनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए लखनऊ और लंदन की समानताएँ प्रकट की हैं। भारतेन्दु युग में विदेश–यात्रा संबंधी वर्णनों में लन्दन को प्रमुखता मिली है, तो स्वदेश–यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थानों को।

यात्रा–वृत्तांत हिंदी साहित्य के हर युग में लिखे गए। द्विवेदी युग में भी लिखे गए। स्वामी मंगलानंद ने 'मारीशस–यात्रा', श्रीधर पाठक ने 'देहरादून–शिमला यात्रा', उमा नेहरू ने 'युद्ध–क्षेत्र की सैर' और लोचनप्रसाद पाण्डेय ने 'हमारी यात्रा' नामक यात्रा–वृत्तांत लिखे। देवीप्रसाद खत्री, गोपालराम गहमरी, गदाधर सिंह, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक कृत 'मेरी कैलाश यात्रा' (सन् 1915) तथा 'अमरीका दर्शन' (सन् 1911) महत्त्वपूर्ण हैं। इन्होंने सन् 1936 में 'यात्रा मित्र' नामक पुस्तक लिखी, जो यात्रा–साहित्य के महत्त्व को स्थापित करती है। 'मेरी कैलास–यात्रा' में लेखक ने काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा के विवरण प्रस्तुत किए हैं। कैलास, मानवरोवर तथा हिमालय के मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इस कृति की उल्लेखनीय विशेषता है।

स्वतंत्रता–पूर्व युग में यात्रा–साहित्य के विकास में राहुल सांकृत्यायन का योगदान अप्रतिम है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने–फिरने में व्यतीत हुआ था। इतिवृत्त–प्रधान शैली के उपरांत भी गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि से इनके यात्रा–वृत्तांतों की तुलना में काई दूसरा लेखक कहीं नहीं ठहरता है। उन्होंने 'तिब्बत में सवा वर्ष', 'मेरी यूरोप–यात्रा', 'मेरी तिब्बत यात्रा' शीर्षक यात्रा–वृत्तांत रचनाएँ लिखीं। 'मेरी यूरोप यात्रा' में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के रोचक वृत्त भी प्रस्तुत किए गए। सन् 1948 में इन्होंने 'घुमक्कड़ शास्त्र' नामक ग्रंथ की रचना की जिससे यात्रा करने की कला को सीखा जा सकता है।

राहुल सांकृत्यायन के बाद यात्रा–साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर अज्ञेय रहे। अज्ञेय अपने यात्रा–साहित्य को यात्रा–संस्मरण कहना पसंद करते थे। 'अरे यायावर रहेगा याद' (1953) और 'एक बूँद सहसा उछली' (1960) उनके द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा संबंधी पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक में उनके भारत में की गई यात्राओं का वर्णन है तो दूसरी पुस्तक में विदेशों में की गई यात्राओं का वर्णन है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत 'चीड़ों पर चाँदनी' में यूरोप के विभिन्न शहरों की यात्राओं के दर्शन होते हैं।

यात्रावृत्तों को एक और नई उपलब्धि देने वाले मोहन राकेश भी हैं। इनके द्वारा रचित 'आखिरी चट्टान तक' का उल्लेखनीय स्थान है। इनके यात्रा साहित्य में साहित्य की–सी रोचकता है। मुनि कांतिसागर की कृतियों 'खोज की पगडंडियाँ', 'खण्डहरों का वैभव' में इनके द्वारा मूर्तियों की खोज के लिए की गई यात्राओं का वर्णन है।

यात्रा वृत्तांत संबंधी साहित्य का मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि विदेश–भ्रमण संबंधी ग्रंथों की तुलना में भारत–भ्रमण संबंधी ग्रंथ कम प्रकाशित हुए हैं। वस्तुतः मनुष्य में विदेशों में भ्रमण कर वहाँ के अद्भुत दृश्यों, पदार्थों, प्रथाओं, जीवन–मूल्यों आदि को देखने–समझने की जितनी तीव्र इच्छा होती है उतनी अपने देश में भ्रमण करने की नहीं होती। प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण हिंदी के यात्रावृत्त साहित्य की एक अन्य प्रमुख कृति है। वस्तुतः प्रकृति और मनुष्य का अनादिकाल से अटूट संबंध रहा है। हिमाच्छादित श्रृंगों, कलकल करते हुए झरनों अथवा शंखनाद करते प्रपातों, प्रतिपल अपनी छटा बदलने वाले मेघों, चित्ताकर्षक रंगों वाले पुष्पों से लदी हुई क्यारियों आदि को अतृप्त नेत्रों से निहारते रहना तथा कंटकाकीर्ण दुर्गम पथों पर चलते हुए सहसा सुरम्य घाटियों में पहुँच जाना मनुष्य का सहज स्वभाव है। शैली–शिल्प की दृष्टि से इस युग के लेखकों में नानाविध प्रयोगों की प्रवृत्ति लक्षित होती है।

वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित यात्रावृत्त संबंधी कृतियों में किसी स्थान विशेष का इतिवृत्तात्मक विवरण भर देने के स्थान पर उस स्थान विशेष के संबंध में अपने अन्तर्मन पर पड़े प्रभावों और इसके फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रत्यंकन की प्रवृत्ति विशेषरूपेण बलवती रही है। अब यात्रावृत्त का लेखक नरेटर मात्र नहीं है तथा किसी स्थान विशेष की भीड़–भाड़, चकाचौंध अथवा प्राकृतिक सौंदर्य से भौचक्का–सा नहीं हो जाता अपितु वह उन सबकी तह में जाने का प्रयत्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन को समीप से देखने का सबसे सरल माध्यम यात्रा करना है।

डायरी –

डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। वैसे तो हम सब कभी न कभी डायरी लिखते हैं। विद्यालयों में अध्यापक डायरी लिखवाते हैं। वे गृहकार्य देते हैं। विद्यालय गतिविधियों की अन्य सूचनाएँ भी विद्यार्थियों को डायरी में लिखवाई जाती है। किंतु हम जिस डायरी विधा की चर्चा कर रहे हैं वह विद्यालयी डायरी से थोड़ी भिन्न है। व्यक्ति जब अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है वह डायरी कहलाती है। इसे रोजनामचा, दैनंदिनी और दैनिकी भी कहते हैं।

भारत में भी डायरी लेखन की परंपरा नई नहीं है। भारत में 'बही' लिखने की प्रवृत्ति अति पुरातन है। व्यवसायी दैनंदिन लेखा–जोखा 'बही खाते' में ही करता आया है। कई शताब्दियों से यहाँ डायरी लिखी जा रही है। लगभग सभी सम्राटों, राजाओं के यहाँ रोचनामचा लिखने वालों की नियुक्ति इसी कार्य के लिए की जाती थी। वे राज्य में हुई प्रतिदिन की घटनाओं का उल्लेख करते थे। 'तारीख' या 'तवारीख' शब्द ही यह स्पष्ट कर देते हैं कि उस युग में ऐतिहासिक कृतियाँ पहले दैनंदिनी विवरण के रूप में प्रस्तुत हुआ करती थी और अंत में उनका समुच्चित या संकलित रूप कालविशेष का इतिहास हो जाता था। मुस्लिम इतिहासकार मात्र प्रायः इसी पद्धति से इतिहास प्रस्तुत किया करते थे। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों और बहियों आदि से पता चलता है कि राजघरानों एवं सम्पन्न परिवारों में कहीं–कहीं दैनंदिनी विवरण लिखने की परंपरा भी थी। इन विवरणों में मुख्यतः नित्य के आय–व्यय का हिसाब और तत्कालीन घटनाओं का ब्यौरा रहता था।

जीवन परिवर्तनशील है, गतिशील है। हमारे जीवनानुभव प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। डायरी लेखन का हमारे व्यक्तित्व को सुधारने एवं सँवारने में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जीवन के आरंभिक दिनों में डायरी लेखन का कार्य कालांतर में बड़ा मूल्यवान् सिद्ध होता है। अधिक आयु में जब हम हमारी लिखी डायरी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पूर्व दिनों की अपेक्षा हममें कितना परिवर्तन हुआ है। हमने जीवन को किस ढंग से जिया है ?हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि हमने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया ?हमें यह पता चलता है कि पिछले दिनों की तुलना में हम जीवन में कितने गंभीर और परिपक्व हुए हैं ? यों कहें कि डायरी हमारी बीते हुए जीवन का सच्चा दर्पण है तो अनुचित नहीं होगा। अपने अनुभवों, विश्वासों और आकांक्षाओं की प्रौढ़ता का विकासक्रम समझने का यह आकर्षक और रमणीय साधन है।

'डायरी' आधुनिक काल का शब्द है तथा यह विधा भी आधुनिक काल की नव्यतम विधाओं में से है। डायरी शैली आत्मकथात्मक, भावप्रवण गद्य विधा है। डायरी का शाब्दिक अर्थ प्रतिदिन की घटनाओं का 'प्रभावी ढंग से' लेखन (Daily record of Event) है। व्यवहार में हम देखते हैं कि डायरी या दैनन्दिनी लेखन में, उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लेखक, अपने दैनिक अनुभवों (थोड़े–बहुत विस्तार से) का, भेंटवार्ताओं का, स्थानिक निरीक्षणों का विवरण देते हैं। आज डायरी के माध्यम से विभिन्न समस्याएँ और विचार प्रस्तुत

होने लगे हैं। डायरी का संबंध प्रत्यक्षतः एक व्यक्ति से होने के कारण इसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती है। प्रत्येक समस्याओं पर डायरी–लेखक आत्मपरक दृष्टि डालता है। आत्मचिन्तन और अपने भोगे हुए संदर्भों को प्रस्तुत करता है। आचार्य उमेश शास्त्री ने डायरी लेखन की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं –

- डायरीकार तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति करता है।
- डायरी–लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है।
- डायरी–लेखन विधा में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है।
- डायरीकार लेख में समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है।
- डायरीकार अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है।
- डायरी–लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है।
- डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन नहीं रहता है।
- डायरी–लेखन में सभी लेखन–विधियों का स्पर्श रहता है।
- डायरीकार समय–समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है।

डायरी साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है –

1. व्यक्तिगत डायरियाँ
2. वास्तविक डायरियाँ
3. काल्पनिक डायरियाँ
4. साहित्यिक डायरियाँ

व्यक्तिगत डायरी का संबंध व्यक्तिविशेष से होता है। ऐसी डायरी में लेखक अपने जीवन के घटना–प्रसंगों, निजी अनुभूतियों, विचारों अथवा आवश्यक तथ्यों को लिखता रहता है। ये डायरियाँ गोपनीय होती हैं। व्यक्ति अपने यथार्थ को इसमें अंकित करता रहता है। ये अत्यंत उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये वास्तविकता लिए हुए होती है।

व्यक्तिगत डायरियों का महत्त्व साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। साहित्यकार अपने अंतरंग साहित्यिक मित्रों के व्यक्तित्व की टिप्पणी डायरी में नोट कर लेता है। अपनी अन्तश्चेतना के मूर्त–विचार तथा अपनी धारणा को डायरी के पृष्ठों में उतार कर पर्यालोचन करता रहता है और एक दिन यही डायरी उसके और उल्लिखित मित्रों के व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देती है। अतः यह मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है कि डायरी की वैयक्तिकता से साहित्य का कोई संबंध नहीं है।

साहित्य में सर्वप्रथम 'डायरी' को शैली के रूप में स्वीकार किया गया। शनैः– शनैः साहित्यिक विधा के रूप में इसका प्रवर्तन हुआ। साहित्यिक डायरी में कल्पना को स्थान दिया जाता है। साहित्यकार कल्पना में यथार्थता को जीने की अनुभूति करता है। ऐसी डायरियों में रचनात्मक साहित्य का सर्जन होता है, जिसमें क्रमबद्धता अथवा अनवरतता बनी रहती है, जिससे पाठक आनन्द की अनुभूति करता है। काल्पनिक साहित्य होते हुए भी अन्य विधाओं की तरह इस विधा में भी सरसता रहती है, जिससे पाठक के मन में ऊबन पैदा नहीं होती।

डायरी लेखन में कहीं एकालाप, कल्पित पात्र से बातचीत, कहीं विचारमंथन की गहनतम

स्थितियों में प्रवेश, कहीं संसार से उपेक्षित होने या अपेक्षा करने की वृत्तियों का उदय, कहीं आंतरिक गुण–दोषों की अभिव्यक्ति आदि विशेषताएँ इस विधा को महत्त्वपूर्ण बना देती हैं। डायरी लेखक का प्रत्येक पृष्ठ पठनीय होता है क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ एक उद्देश्य की सार्थकता को सिद्ध करता है।

साहित्यिक डायरी में रचना–शैली, ललित–कल्पना, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान आदि विविध प्रवृत्तियों का मनोरम समन्वय रहता है। साहित्य की अन्य कोई ऐसी विधा नहीं है, जिसके माध्यम से रचनाकार अपनी मन की गूढ़ अनुभूतियों को सहजता तथा निष्पक्ष भाव से अभिव्यक्ति दे सके। यह एक सुस्पष्ट तथा तथ्यात्मक अभिव्यंजना के निमित्त स्वतंत्र साहित्यिक विधा है।

आधुनिक युग में डायरी–साहित्य का सर्जन हुआ। यद्यपि विकास की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो यह विधा अभी समृद्ध नहीं कही जा सकती है। इस दिशा में अजीत कुमार तथा लक्ष्मीकान्त वर्मा की महती भूमिका रही, जिन्होंने डायरी विधा की ओर आकर्षण को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त जिन लेखकों ने विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में डायरी–साहित्य प्रकाशित कराया, उनके नाम हैं – शिवदान सिंह चौहान, नरेश मेहता, एवं बैकुंठ नाथ मेहरोत्रा आदि।

सम–सामयिक पत्र–पत्रिकाओं धर्मयुग, निकष, हिन्दुस्तान, ज्ञानोदय, कादम्बिनी, कल्पना, माध्यम, बिन्दु तथा सारिका आदि में उन लेखकों की डायरियाँ प्रकाशित हुई हैं, जो इस विधा के आन्दोलन के प्रवर्तन मण्डल में हैं। 'ज्ञानोदय' पत्रिका ने इस विधा की समृद्धि में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। इस पत्र में सर्वाधिक डायरियाँ प्रकाशित हुई हैं।

डायरी विधा शैली के रूप में भी अपनाई गई है। अनेक लेखकों ने इस विधा में सर्जन कर रचनाओं को 'संस्मरण', 'रेखाचित्र' या 'उपन्यास विधा' में संकलित कर लिया है। श्री प्रकाश चन्द्र गुप्त की डायरी के पृष्ठ रेखाचित्र–साहित्य में है, इसी प्रकार श्री बनारसीदास गुप्त का 'मनुष्य और कल्ला' भी डायरी–साहित्य रेखाचित्र में संकलित है। इनका एक उदाहरण द्रष्टव्य है –

11 जुलाई :

सड़क पर पत्थर के टुकड़े डालने की मजदूरी मनसुखा ने कर ली थी। नदी तल में वह पत्थर तोड़ रहा था। गधे पास ही खड़े हुए थे। बच्चे पत्थर बीन रहे थे। मैंने पुल पर से आवाज दी, 'मनसुखा तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी आई है। बच्चों के फोटो भी ठीक उतरे हैं।

मनसुखा ने कहा : सो तो ठीक, पर तस्वीरें हमें दिखाओ तो सही।

मैंने कहा : अच्छा कल आना, सब फोटो दिखला दूँगा, पर दूँगा नहीं। एक तस्वीर पाँच आने में पड़ती है।

मनसुखा ने कहा : 'अच्छा पंडितजी पाँच आने पक्के रहे।

12 जुलाई :

मनसुखा हमारे बगीचे पर आया और बोला : पंडितजी, कहाँ मुरम 'पथरीली मिट्टी' गिराना चाहते हैं।

मैंने कहा – 'यहीं आम के पेड़ों के नीचे जहाँ कीचड़ बहुत है।'

13 जुलाई :

'सुना कि पास के गाँव में किसी कुम्हार और उसके बच्चे को साँप ने काट खाया है। उस वक्त हमें मनसुखा का ख्याल भी नहीं आया। शाम को खबर मिली कि मनसुखा और कल्ला को ही सर्प ने काटा था

और दोनों ही मर गये........।'

श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने भी 'पुरानी स्मृतियाँ और नये स्केच' में डायरी–साहित्य को संकलित कर दिया। एक उदाहरण द्रष्टव्य है –

''पानी मूसलाधार बरस रहा है। बाहर चरवाहे गला फाड़कर विरहा गा रहे हैं। एक अजब सरूर मेरी आत्मा पर छा गया है। मैं झूम–झूम कर गुनगुनाता हूँ। 'एकाकिनी बरसात'। मेरे मकान के बाहर ताल में बटु–समुदाय वेद–पाठ करता हैं। वह जेठ की विकट गर्मी वह अषाढ़ का 'पक जामुन के रंग सापाग' और सावन–भादों की यह शीतल, कमल की पंखुड़ियों सी रिमझिम और धन की चोट सी मूसलाधार बरसात।''

श्री दूधनाथसिंह की डायरी–साहित्य 'बर्फ के टुकड़े' ज्ञानोदय पत्रिका के जनवरी 1965 अंक में प्रकाशित हुआ। इसी पत्रिका में प्रकाशित हरिशंकर परसाई का 'हम वे और भीड़' तथा डॉ० विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का 'डायरी के पाँच पृष्ठ' प्रकाशित हुए। श्री प्रभाकर माचवे का 'पश्चिम में बैठ कर पूर्व की डायरी' प्रयोगात्मक डायरी–रचना है।

यद्यपि हिंदी में अभी भी डायरी–साहित्य अधिक नहीं लिखा गया है किंतु उपलब्ध साहित्य में आत्मपरकता, दार्शनिकता तथा व्यंग्यात्मक तीव्रता का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहानी, उपन्यास एवं रेखाचित्रों में इस विधा का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है।

10.5 संदर्भ ग्रंथ की महत्ता –

समाचार माध्यमों में कार्य करते समय किसी घटना के लिए पुराने संदर्भों की आवश्यकता होती है और यह कार्य समाचारपत्र कार्यालयों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में पुस्तकालय अथवा तकनीकी भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, जहाँ पर सभी घटनाओं अथवा विभिन्न मुद्दों से संबंधित समाचारों अथवा कथाओं को अलग–अलग दस्तावेज़ के रूप में सहेज कर रखा जाता है। संपादक किसी भी कथा अथवा विषय पर लेखन करने से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ एकत्र करने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है, इससे समाचार अथवा कहानी रुचिकर और पठनीय हो जाती है। इतना ही नहीं कई बार पाठक इसे अनेक स्थानों पर संदर्भ के रूप में भी सहेज कर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष नेता अथवा व्यक्तित्व के राजस्थान आगमन के समाचार को मात्र दो या तीन पंक्तियों में पूरा किया जा सकता है, किंतु यह मात्र सूचनापरक हो कर रह जाएगा। इसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति विशेष के राजस्थान से जुड़ी पुरानी स्मृतियों, पूर्व में की गई यात्राओं, पूर्व में लिए गए साक्षात्कारों अथवा राजस्थान से बाहर राज्य के संदर्भ में कथन अथवा बयान को एकत्र कर उद्धरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है जिससे पाठकों की स्मृतियाँ ताजा हो जाती है और संदर्भित पक्ष भी लाभान्वित होता है।

इसी प्रकार मौसम की खबरों में जब शहर का तापमान सर्वाधिक या न्यून रहता है उस दिन संपादक विगत 10 वर्षों में रहे तापमान का लेखाजोखा एकत्र करता है और उसे मौसम विज्ञानी के कथन के साथ प्रस्तुत करता है ताकि पाठकों को तापमान में हुए परिवर्तन अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी के कारणों का स्वतः ज्ञान हो पाता है। यदि इन्हीं संदर्भों को जोड़कर शीर्षक देने की आवश्यकता हो तो इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। 'गर्मी ने विगत 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा।'

सारांश –

आँखों–देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्ताज रखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं। लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्ताज नहीं बना करता, रिपोर्ट भले ही बन जाए। घटना–प्रधान होने के साथ ही रिपोर्ताज कथातत्व से भी युक्त होता है। रिपोर्ताज लेखक जनसाधारण के जीवन की सच्ची

और सही जानकारी रखता है और उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारियों जैसे सुख–दुःख के क्षणों में जनता को निकट से देखता है। मनुष्य की विकास गाथा में यायावरी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने जीवन काल में व्यक्ति यात्रा अवश्य करता है। यात्रा करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यात्री को यात्रा से तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है। वह जीवन की कृत्रिमता से दूर जाकर जीवन की वास्तविकता की अनुभूति करता है। उसके हृदय में पर्यावरण के प्रति अपनत्व का भाव जाग्रत होता है। डायरी लिखना भी एक कला है। डायरी लेखन से लेखक के आत्मीण गुण एवं प्रवृत्तियाँ उजागर होती हैं। डायरी लेखन से व्यक्ति दिनोंदिन परिष्कृत होता जाता है एवं जीवन में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। संदर्भ ग्रंथ हमें पूर्व में हुई घटनाओं की मूल्यवान जानकारी देते हैं। पत्रकारिता एवं शोध कार्य के क्षेत्र में संदर्भ ग्रंथों का अत्यधिक महत्त्व है। पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी के साथ वर्तमान घटित घटनाओं की तुलना संदर्भ सामग्री द्वारा ही की जा सकती है, इससे वातावरण एवं परिस्थितियों में आए बदलाव को सुगमता से समझा जा सकता है।

शब्दावली–

हृत्ततंत्री –हृदय की वीणा
श्रृंगों –पर्वत की चोटियाँ
कंटकाकीर्ण – काटों से भरा हुआ

अभ्यास प्रश्न –

1. रिपोर्ताज किसे कहते हैं ?
2. रिपोर्ट और रिपोर्ताज में अंतर बताइए।
3. हिंदी में रिपोर्ताज विधा की प्रथम रचना कौन सी है ?
4. हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए?
5. प्रमुख यात्रावृत्त लेखकों के नाम लिखिए।
6. डायरी क्यों लिखी जाती है ?
7. डायरी लेखन की पाँच विशेषताएँ बताइए।
8. पत्रकारिता के संदर्भ सामग्री की क्या उपयोगिता है ?

परिशिष्ट – 1

नोट– यह पाठ्यसामग्री राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु जोड़ी जा रही है । यह हिन्दी अनिवार्य विषय के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है ।

विधिक जागरूकता
राष्ट्र ध्वज – हमारा गौरव

राष्ट्र ध्वज पूरे देश का गौरव है । भारत का राष्ट्र ध्वज भारत के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिरूप है । भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र ध्वज के लिए प्रेम, आदर एवं निष्ठा है परन्तु अक्सर यह देखने में आता है कि राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए जो नियम, रिवाज एवं औपचारिकताएँ बनाई गई हैं, उनकी जानकारी आम जनता को नहीं है। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, सम्प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 तथा राष्ट्र गौरव अपना निवारण अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के तहत् राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन नियन्त्रित होता है। इसी के साथ सभी के मार्गदर्शन और हितों के लिए राष्ट्र ध्वज संहिता, 2002 में सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है ।

राष्ट्र ध्वज की आवश्यक विशिष्टियाँ

1. भारतीय राष्ट्र ध्वज पर तीन अलग–अलग रंगों की पट्टियां समान चौड़ाई की आयातकार हैं । सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी और हरे रंग की पट्टी है । बीच की पट्टी सफेद रंग की है, जिसके बीचोबीच बराबर की दूरी पर नीला रंग में चौबीस धारियों वाला अशोक चक्र बना है ।
2. यह राष्ट्र ध्वज हाथ से काते गए एवं हाथ से बुने गए खादी के कपड़े से बनाया गया है।
3. राष्ट्र ध्वज का आकार आयातकार होता है । झण्डे की लम्बाई, ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 2 : 3 होगा ।

राष्ट्र ध्वज के प्रदर्शन के लिए सम्प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :–

1. झण्डे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता ।
2. झण्डे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा । सिवाय उन अवसरों के जिनमें सरकारी भवनों पर झण्डे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों ।

3. किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग में झण्डे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना ही तकियों, रूमाल, नेपकिन अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर इसे काढ़ा अथवा मुद्रित किया जाएगा ।
4. झण्डे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएगे ।
5. झण्डे का प्रयोग ना तो व्यक्ति की मेज को ढकने और ना ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा ।
6. झण्डे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा ।

राष्ट्र ध्वज की मर्यादा रखने और सम्मान प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :–

1. जब कभी राष्ट्र ध्वज फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए ।
2. फटा हुआ सा मैला–कुचैला झण्डा प्रदर्शित नहीं किया जाये ।
3. किसी दूसरे झण्डे या पताका को राष्ट्र ध्वज से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जाए ।
4. कागज के बने झण्डे को राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है परन्तु ऐसे कागज के झण्डे को समारोह पूरा होने के पश्चात् ना तो विकृत किया जायेगा ना ही जमीन पर फेंका जाएगा ।
5. झण्डे को धीरे–धीरे एवं आदर के साथ उतारा जाए ।
6. जब झण्डे को फहराते समय और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झण्डे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए और उतारा जाए।

इसी प्रकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा–2 में यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज एवं भारत के संविधान का अपमान करेगा, उसे तीन साल तक की सजा या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–3 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो कोई भारत के राष्ट्रगान को गाने से रोकता है या उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा करता है तो उसे भी तीन साल तक की सजा या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। सन् 2005 में इस अधिनियम की धारा–3ए भी जोड़ी गई है। जिसके अनुसार एक बार इस अधिनियम के तहत् दोषित होने पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा दुबारा ऐसा ही अपराध किया जाता है तो उसे ऐसी सजा से दण्डित किया जाएगा जो कम से कम एक साल की होगी ।

हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हम सभी के लिए आदरणीय, सम्मान एवं श्रद्धा के प्रतीक हैं। इनके गौरव एवं सम्मान की रक्षा में ही हमारा गौरव एवं सम्मान छिपा हुआ है। अतः देश के

प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि इन राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की रक्षा करे तथा इसके लिए बनाए गए कानून एवं दिशा–निर्देशों की पालना करे।

मूल कर्तव्य

प्रारम्भ में हमारे मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों का ही प्रावधान था । उसमें मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। सन् 1976 के संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4–क एवं अनुच्छेद 51 –क जोड़कर मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए। इसके पीछे मूल भावना यह रही है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का और अधिकारों के बिना कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अनुच्छेद 51–क में नागरिकों के निम्नांकित मूल कर्तव्य बताए गए हैं, अर्थात् प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ।
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करे ।
3. भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ।
5. भारत की सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे ।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे ।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे ।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले ।
11. जो माता–पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा ।

यह मूल कर्तव्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अपरिहार्य

है। हमारी न्यायपालिका ने भी समय–समय पर इन मूल कर्तव्यों का समर्थन किया है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1988 एससीसी 47) के मामले हमारे उच्चतम न्यायालय ने यह अनुशंसा की है कि देश की शिक्षण संस्थाओं में प्रति सप्ताह एक घण्टे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

बाल विवाह–कानूनी अपराध

कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आता है। इसीलिए कानून में शादी करने की भी एक उम्र तय की गई है। इस उम्र में कम उम्र में हुई शादी को बाल विवाह कहते हैं।

बाल विवाह क्या है?

अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, या लड़के की उम्र 21 साल से कम है, वह बाल विवाह कहलाएगा। ऐसी शादी की कानून में मनाही है। ऐसी किसी शादी के कई कानूनी परिणाम हो सकते हैंः–

1. 18 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
2. शादी करने वाले जोड़े में से जो भी बाल हो, शादी कोर्ट से रद्द (अमान्य या शून्य) घोषित करवा सकता है। शादी के बाद कभी भी कोर्ट में यह अर्जी दी जा सकती है, पर बालिग हो जाने के दो साल बाद नहीं।
3. जो भी बाल विवाह सम्पन्न करे या करवाए जैसे– पण्डित, मौलवी, माता–पिता, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
4. जिस व्यक्ति की देख–रेख में बच्चा है, वह यदि बालविवाह करवाता है– चाहे वह माता–पिता, अभिभावक या कोई और हो, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
5. जो व्यक्ति बालविवाह को किसी तरह का बढ़ावा देता है, या जानबूझकर लापरवाही से उसे रोकता नहीं, जो बालविवाह में शामिल हो या बालविवाह की रस्मों में उपस्थित हो, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या (लिंग जाँच रोकने का कानून)

प्रसूति पूर्व अथवा पश्चात् अनुवांशिक विकारों, भ्रूण के शरीर की विषमताओं का पता लगाने के लिए प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के नियमन हेतु तथा इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकने, लिंग पता कर कन्या भ्रूण की हत्या को रोकने इत्यादि के प्रयोजन हेतु सरकार ने एक

कानून बनाया है, जिसे गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 कहते हैं।

इस कानून में गर्भ में लिंग जाँच दण्डनीय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों, इशारों या अन्य तरीके से गर्भ का लिंग बताना दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति जो गर्भ की लिंग जाँच या चयन के लिए इन तकनीकों की सहायता लेता है इस कानून में दण्डित हो सकता है अगर किसी औरत को जाँच के लिये मजबूर किया गया है तो उसे सजा नही दी जाएगी।

लिंग जाँच की सजा है 3 साल तक की जेल और 10,000/– रुपये तक का जुर्माना। दोबारा अपराध करने पर सजा 5 साल तक की जेल एवं 50,000/– रुपये जुर्माना हो सकता है।

कोई भी डॉक्टर या तकनीकी सहायक जो ऐसी गैर–कानूनी जाँच करता है, उसे 3 साल तक जेल और 10,000/– रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि अपराध दुबारा किया जाए तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000/– रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

लिंग जाँच या लिंग चयन के लिए किसी प्रकार का इश्तिहार देना दण्डनीय है। ऐसा करने के लिए दण्ड है 3 साल तक की जेल और 10000/– रुपये तक का जुर्माना।

दहेज प्रथा

शादी में दहेज लेने देने की प्रथा पर रोक लगाने हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 बना हुआ है, जिसमें दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। दोनों पक्षों को विवाह के समय दिए गए सामान की सूची बना लेनी चाहिए तथा दोनों पक्षों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि लड़की को कोई सामान उपहार स्वरूप दिया गया हो तो वह विवाद के बाद तीन माह में उसे देना अनिवार्य है।

साइबर अपराध

इक्कीसवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसे सूचना क्रान्ति का प्रारंभिक काल भी कहा जा सकता है। कम्प्यूटर और इन्टरनेट आज मानव जाति के लिये वरदान सिद्ध हो रहे हैं। इनसे सामाजिक एवं आर्थिक क्रान्ति को एक नई दिशा मिली है, लेकिन साथ ही साथ ये एक अभिशाप भी बने हैं। कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट ने अनेक अपराधों को जन्म दिया है। इनसे व्यक्ति के नैतिक जीवन पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साइबर अपराध, अपराधों की एक नवीनतम तकनीक है। इन अपराधों को नियंत्रित करने तथा इनकी रोकथाम के लिये सन् 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नांकित कृत्यों को दण्डनीय अपराध माना गया

है:—

1. किसी कम्प्यूटर अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली में अनुज्ञा के बिना पहुँचना।

2. किसी कम्प्यूटर, कम्प्युटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली में अनुज्ञा के बिना कोई डाटा, कम्प्यूटर डाटा संचय या सूचना डाउनलोड करना, उसकी प्रतिलिपि करना अथवा उसके उद्धरण लेना।

3. किसी कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी कम्प्यूटर वायरस का प्रवेश करना या करवाना।

4. किसी कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करना।

5. किसी अश्लील अथवा कामोत्तेजक सूचना या सामग्री को इलेक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित करना।

6. संसूचना सेवा द्वारा आक्रामक संदेश भेजना।

7. किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य विशिष्ट पहचान का कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक प्रयोग करना।

8. किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके गुप्तांग का चित्र लेना अथवा उसकी एकान्तता का उल्लंघन करना।

9. साइबर आतंकवाद फैलाना अर्थात् देश की एकता, अखण्डता, सुरक्षा, प्रभुता आदि को खतरे मे डालना।

10. अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन अथवा पारेषण करना।

11. इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन करने वाली सामग्री का प्रकाशन करना।

12. काम—वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करना आदि।

इस अधिनियम में साइबर अपराधों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। अनेक अपराधों के लिए दस लाख रुपये तक के जुर्माने और लम्बी अवधि के कारावास के दण्ड की व्यवस्था है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर

वेब साईट	...	**www.rlsa.gov.in**
ईमेल	...	**rslsajp@gmail.com**
हेल्पलाईन	...	**0141-2385877**
फोन	...	**0141-2227481**
फैक्स	...	**0141-2227602**

24 hour helpline for children in need of care and protection CHILDLINE 1098

बेबस, बेसहारा और मुसीबत में फँसे बच्चों के लिए
दिन रात मुफ्त फोन सेवा 1098 चाईल्डलाइन